पूर्वी दिल्ली नगर निगम

सार्वजनिक सूचना

पूर्वी दिल्ली नगर निगम को ''ओडीएफ प्लस'' स्वः घोषित किये जाने के संबंध में

सर्वसाधारण एवं समस्त सम्बंधितों को सूचित किया जाता है कि, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, 'स्वच्छ भारत मिशन—नगरीय', के निर्धारित उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

25 जनवरी, 2020 को पूर्वी दिल्ली नगर निगम को भारत सरकार के 'आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय' द्वारा नियुक्त 3rd Party Agency, के माध्यम से पूर्वी दिल्ली क्षेत्र का निरीक्षण कर ओडीएफ प्रमाणित किया जा चुका है। ओ0डी0एफ0 के उच्च स्तर ओ0डी0एफ0 प्लस की प्राप्ति हेतु नगर निगम लगातार प्रयासरत है।

इस सूचना के प्रकाशित होने के पश्चात यदि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच/खुले मे मुत्र विसर्जन से सम्बंधित किसी भी समस्या को नोटिस करता है तो वह पूर्वी दिल्ली नगर निगम, के कार्यकारी अभियंता (Project Implementation Unit) के ई—मेल eepiuedmc@gmail.com के माध्यम से, एक सप्ताह की समय अवधि के अंतर्गत अपनी सूचना , सलाह, शिकायत, सुझाव व आपत्तियां आदि पूर्वी दिल्ली नगर निगम को दर्ज करा सकता है।

उक्त समय अवधि के समाप्त होने के उपरांत पूर्वी दिल्ली क्षेत्र को नगर निगम द्वारा ''ओडीएफ प्लस'' स्वः घोषित कर दिया जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता
पी0 आई0 यू0/सैन्ट्रल स्टोर